

## कार्यालय – जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कवर्धा जिला कबीरधाम (छ0ग0)

//निविदा सूचना//

निविदा विज्ञापित क्रमांक A15/2023

कवर्धा दिनांक 09/01 /2023

जिला एवं सत्र न्यायालय, कबीरधाम हेतु निम्नलिखित तकनीकी विशिष्टियों की फर्नीचर एवं फोटोकॉपी मशीन कय किया जाना है :-

| s.no. | Description  | Unit |
|-------|--|------|
| 01    | Photocopy Machine- Duplex Printing Minimum 15 page per minutes, with ADF/RADF (Please also quote model without ADF/RADF) | 2    |
| 02    | Revolving chair  | 30   |
| 03    | Wooden Chair (Cane Weaving chair)  | 30   |
| 04    | Aluminum Ladder (Heavy Duty) 8 Feet  | 1    |
| 05    | Wardrobe Almirah (With coat hanger) (18/20 gauge)  | 5    |
| 06    | Glass Door Almirah (Which height is 6.5/7 feet and books can be placed on both sides) (18/20 gauge)                      | 10   |

(संख्या आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय है।)

निविदा की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार है :-

01. निविदा में उपरोक्त कय किये जाने वाले प्रत्येक सामग्री की राशि जी.एस.टी. सहित कुल आवश्यक यूनिट की राशि के योग सहित प्रस्तावित किया जावे। परिवहन, पैकेजिंग या हैंडलिंग के मद में कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा। निविदा में निम्न प्रोफार्मानुसार राशि उल्लेखित किया जाना आवश्यक है:-

| क्र. | विवरण   | राशि प्रति युनिट | जी.एस.टी. | योग |
|------|---|------------------|-----------|-----|
| 01   | Photocopy Machine- Duplex Printing Minimum 15 page per minutes, with ADF/RADF |                  |           |     |
| 02   | Revolving chair   |                  |           |     |
| 03   | Wooden Chair (Cane Weaving  |                  |           |     |

|    |  |  |  |       |
|----|--|--|--|-------|
|    | chair)   |  |  |       |
| 04 | Aluminum Ladder (Heavy Duty) 8 Feet  |  |  |       |
| 05 | Wardrobe Almira (With coat hanger) (18/20 gauge)   |  |  |       |
| 06 | Glass Door Almira (Which height is 6.5/7 feet and books can be placed on both sides) (18/20 gauge) |  |  |       |
| 07 | Photocopy Machine- Duplex (Printing) Minimum 15 page per minutes without ADF/RADF                  |  |  |       |
|    |  |  |  | योग - |

02. निविदाकार फर्म को प्रदाय की जाने वाली सामग्री का वारंटी पीरियड में संपूर्ण देखभाल एवं मरम्मत किये जाने हेतु लिखित वचनबंध (Undertaking) निष्पादित किया जाना होगा। न्यूनतम दर पर अधिकतम अवधि के लिए वारंटी देने कंपनी/फर्म को प्राथमिकता दी जा सकेगी।
03. निविदाकार फर्म का कार्यालय/सर्विस सेंटर जिला कबीरधाम अथवा समीपवर्ती जिले में संचालित हो। (निविदाकार फर्म निविदा प्रपत्र में अपने कार्यालय का नाम, प्रोपाईटर का नाम, ईमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से अंकित करेंगे।)
04. सफल निविदाकार फर्म को कय आदेश जारी किये जाने के उपरांत 07 कार्य दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा। इंस्टालेशन, परिवहन, पेकेजिंग या हैंडलिंग के मद में निविदात्मक दर के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगा।
09. निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी एंड टी विभाग से अधिकृत कोरियर के माध्यम से अथवा जिला न्यायालय भवन परिसर में रखे टेंडर बॉक्स में व्यक्तिगत रूप से निर्धारित अंतिम तिथि के अंतिम समय तक डाला जा सकता है, जो यथाशीघ्र खोला जायेगा।
10. बंद लिफाफे/रजिस्टर्ड लिफाफे के उपर "फोटोकॉपी मशीन एवं फर्नीचर हेतु निविदा प्रस्ताव" स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक है।
11. जिला न्यायालय, कबीरधाम के वेबसाईट का पता <https://districts.ecourts.gov.in/kabirdham-kawardha> है।

12. दिनांक 01.02.2023 को सुबह 10.30 बजे निविदा खोले जाते समय निविदाकार नमूना सामग्री सहित जिला न्यायालय परिसर कबीरधाम में, यथासंभव, उपस्थित रहेंगे। उक्त दिनांक को नमूना सामग्री पेश न कर पाने की स्थिति में अपने अधिकृत संस्थान में नमूना सामग्री क्रय समिति के अवलोकनार्थ उपलब्ध रखेंगे।
13. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा प्रपत्रों, ईमेल से प्रेषित निविदा अथवा खुले लिफाफे में प्रेषित निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी। निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि, दिनांक 31/01/2023 को शाम 5.00 बजे तक है।
14. प्रदाय की जाने वाली सामग्री मापदंड के अनुसार प्राप्त नहीं होने की दशा में स्वीकार नहीं की जावेगी तथा निविदाकार/प्रदायकर्ता फर्म/संस्थान को उसे अपने स्वयं के व्यय पर वापस ले जाना होगा।
15. यदि प्रदाय की जाने वाली सामग्री में किसी प्रकार की कमी/खराबी पायी जाती है तो कार्यालय के द्वारा उक्त सामग्री को किसी भी समय लौटाई जा सकेगी तथा निविदाकार को उक्त खराब सामग्री के स्थान पर दूसरी नयी सामग्री प्रदान करना होगा।
16. निविदायें खोलते समय निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष उपस्थित रह सकते हैं। निर्धारित तिथि को निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति की दशा में क्रय समिति के द्वारा निविदा खोली जावेगी।
17. किसी भी निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी निविदा प्रस्ताव में किसी शर्त का उल्लंघन होने अथवा आदेश का पालन नहीं किये जाने पर या अन्य कोई अनियमितता पाये जाने पर उक्त निविदा प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का अंतिम अधिकार माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, कबीरधाम को होगा।



(अध्यक्ष)

क्रय समिति

जिला न्यायालय कबीरधाम

(माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित)